COURT FEE 10रु. कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10रु. कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. PBR/पुनर्स्थापना/हरदा/भू.रा./2018/0852 जिला हरदा

लक्ष्मीनारायण ....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन ....अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता ।

श्रीमान्,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत :–

(1) यहकि, श्रीमान् जी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रिव्यु 1633–पीबीआर/16 दिनांक 29–6–16 को उक्त प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में सुनवाई हेतु प्रार्थी के अभिभाषक की गैर हाजिरी में प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त कर दिया है ।

(2) यहकि, प्रार्थी को उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 29–6–16 की उपस्थिति हेतु न तो अभिभाषक द्वारा तारीख बताई गई और न ही श्रीमान के न्यायालय से ही कोई सूचना प्राप्त हुई ।

(3) यहकि, प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से भी प्रकरण के संबंध में जानकारी लेने की कई बार कोशिश की परन्तु उनके द्वारा भी कहा गया कि प्रकरण में जो भी कार्यवाही होगी, उसकी सूचना आपको बता देंगे । बाद में अभिभाषक द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई, तब प्रार्थी ने दिनांक 1–2–18 को मुख्यालय ग्वालियर आकर प्रकरण के बारे में तलाश करने पर मालूम हुआ कि प्रकरण दिनांक 29–6–16 को अदम पैरवी में समाप्त कर दिया है ।

P.T.O

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेफ्रे/पुर्नस्थापन/ग्वा/भू.रा./2018/0852

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता एवं श्री ओ0पी0शर्मा उपस्थित । उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन पर सुना गया । पर्याप्त आधार होने से पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण कमांक रिव्यु 1633–पीबीआर/16 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	